महत्वपूर्ण

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम
(सरकार का प्रतिष्ठान)
प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

क्रमांक : प्र.का./प्रशा./एच एण्ड टी/जी.सी./96/11640 दिनांक : 5-10-21

वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक/
भण्डार प्रबन्धक/भण्डार प्रभारी,
समस्त राज्य भण्डारगृह।

विषय : निगम के एच. एण्ड टी. एजेन्ट के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

निगम के हैण्डलिंग एवं परिवहन के निविदा प्रपत्र वर्ष 2020–2022 की शर्त संख्या 6 सर्विस एजेन्ट की ओर से व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या–X पर निम्नानुसार व्यवस्था है:–

"एजेन्ट को निगम के प्रतिनिधि के निर्देशानुसार स्टेक पर फ्यूमीगेशन कवर ले जाने, कवर डालने, मिट्टी आदि से कवर को एयर टाइट करने, निर्धारित समय पश्चात् कवर उतारने एवं समेट कर निर्दिष्ट स्थान पर रखवाने तथा कवर फ्यूमीगेशन के लिए काम में ली गई मिट्टी आदि को हटवाकर भली प्रकार से सफाई एवं फ्यूमीगेशन के पश्चात बोरीयों पर पडी हुई राख की ब्रुशिंग करने हेतु मजदूरों की व्यवस्था करनी होगी, जिसके लिए रुपये 380/– प्रति फ्यूमीगेशन कवर पारिश्रमिक देय होगा। एजेन्ट को भण्डारगृह के गोदाम/परिसर में सफाई, स्प्रे, सुरक्षा एवं अन्य कार्यों हेतु मजदूर वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक/भण्डार प्रबन्धक (प्रभारी) के निर्देशानुसार उपलब्ध कराने होंगे, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अकुशल श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी रुपये 252/– प्रति मजदूर प्रति दिवस (आठ घण्टे) से पारिश्रमिक देय होगा। एजेन्ट को भण्डारगृह के मंत्रालयिक कार्य, लेब वर्कर, लेब टेक्नीशियन, वे–ब्रिज क्लर्क हेतु कम से कम स्नातक स्तर के कर्मी की सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी,, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अर्द्वकुशल श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी रुपये 264/– प्रतिदिन/प्रति कर्मी (8 घण्टे) का पारिश्रमिक देय होगा। तकनीकी कार्य हेतु कुशल तकनीशियन यथा कम्प्यूटर आपरेटर आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने होगे जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उच्चकुशल श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी रुपये 326/– प्रतिदिन (आठ घंटे) पारिश्रमिक देय होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों पर टेण्डर प्रीमियम लागू नहीं होगा। न्यूनतम मजदूरी की दरे ठेकादार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होगी। भविष्य में राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरों में समय–समय पर संशोधित दरें निगम द्वारा लागू मानी जावेंगी।" न्यूनतम मजदूरी पर नियमानुसार पृथक से जी.एस.टी. देय होगी।

निगम के विभिन्न भण्डारगृहों पर चौकीदार/चपरासी के अवकाश/कमी के कारण गोदामों की सुरक्षा, साफ–सफाई इत्यादि की व्यवस्था सम्बन्धित भण्डारगृह के हैण्डलिंग एवं परिवहन एजेन्ट से करायी जावे जिसके लिये एच.एण्ड टी. एजेन्ट को टेण्डर डाक्यूमेंट वर्ष 2020–2022 की उपरोक्त शर्त संख्या 6(X) के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जावे। **उक्त दरें दिनांक 01.08.2021 से प्रभावी की जाती है।**

केन्द्र के हैण्डलिंग एवं परिवहन एजेन्ट से उपरोक्तानुसार व्यवस्था कराने से पूर्व सम्बन्धित वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक/भण्डार प्रबन्धक (प्रभारी) को प्रधान कार्यालय की पूर्वानुमति लेनी आवश्यक होगी, किन्तु यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणवश किसी वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक/भण्डार प्रबन्धक (प्रभारी) द्वारा प्रधान कार्यालय की पूर्वानुमति लिया जाना सम्भव नहीं हो तो ऐसे तात्कालिक आवश्यकता के लिए वे एक दिवस की व्यवस्था अपने स्तर पर कर सकेंगे, और औचित्य देते हुए कार्योतर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रधान कार्यालय को प्रेषित करेंगे। यदि एक दिन से अधिक की व्यवस्था करनी पड़े तो सक्षम अधिकारी से टेलीफोन पर अनुमति प्राप्त करेंगे एवं की गयी व्यवस्था की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तत्काल निर्धारित प्रपत्र में प्रधान कार्यालय में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधान कार्यालय को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये कि किस अधिकारी से दूरभाष पर स्वीकृति प्राप्त की गई।

निगम के स्वनिर्मित भण्डारगृहों की भांति ही किराये के गोदामों पी.ई.जी. योजना के तहत निजी निवेशकों द्वारा बनाये गये पी.ई.जी. गोदामों, ए.एल.पी. गोदामों पर भी फ्यूमिगेशन, स्प्रे, साफ–सफाई, चौकीदारी एवं अन्य व्यवस्था हेतु जो भी मजदूर लगाये जायेगें उनके लिये भी उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत कर प्रधान कार्यालय में संयुक्त निदेशक (प्रशासन) से ही स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

यहां यह भी उल्लेखनीय हे कि निजी निवेशकों के पी.ई.जी. गोदाम पर स्प्रे, फ्यूमिगेशन, साफ–सफाई, चौकीदारी व अन्य व्यवस्था पर होने वाला मासिक व्यय निगम को इन गोदामों से उक्त कार्य के पेटे होने वाली आय से अधिक नहीं होना चाहिये।

मंत्रालयिक कार्य एवं कम्प्यूटर आपरेटर हेतु व्यवस्था किसी भी स्थिति में प्रधान कार्यालय की पूर्वानुमति के बिना नहीं की जायेगी। यदि बगैर पूर्व स्वीकृति के इस सम्बन्ध में कोई व्यय किया गया तो सम्बन्धित वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक/भण्डार प्रबन्धक (प्रभारी) स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं आदेशों की अवहेलना के लिए नियमानुसार कार्यवाही भी की जा सकेगी।

उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति हेतु संयुक्त निदेशक (प्रशासन) अधिकृत होंगे। उनकी अनुपलब्धता में कार्यकारी निदेशक अधिकृत होंगे। उपरोक्त व्यय किसी भी स्थिति में केन्द्र के इम्प्रेस्ट से नहीं किया जावें।

उपरोक्त आदेशों की कठोरता से पालना की जाये।

(महेश चन्द्र शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–

1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, कार्यकारी निदेशक, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
4. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. समस्त वरिष्ठ भण्डार प्रबन्धक/भण्डार प्रबन्धक/प्रभारी, राज्य भण्डारगृह।
6. प्रकरण सहायक, वैकल्पिक व्यवस्था पत्रावली, प्रशासन अनुभाग।

(सोमेन्द्र कुमार शर्मा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)